छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002.

FIleNo.GENS/17341/2026-GAD-7,नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक:22-05-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
छत्तीसगढ़।

विषय:- **अपचारी लोक सेवकों/शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ लोकआयोग अधिनियम 2002 की धारा 16 के अंतर्गत सुझाव के संबंध में।**

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर से प्राप्त पत्र क्र.768/अभियोजन/ पेंशन/धारा16/सुझाव/2026, दिनांक 25/03/2026 की सहपत्रों सहित छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। अतः उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

chaturpost.com

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by RAJAT KUMAR
Date: 22-05-2026 13:38:19

(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7)

E.FIleNo.GENS/17341/2026-GAD-7,नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक:22-05-2026

प्रतिलिपि:-

सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर की ओर पत्र क्रमाक/768/अभियोजन /पेंशन/धारा16/सुझाव/2026, दिनांक 25/03/2026 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

Digitally signed by RITU VERMA
Date: 22-05-2026 13:51:31

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7)

(26)

छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग.)

☎ 🖷 0771-2221856, Website - www.lokayog.cg.nic.in, Email - cglarpr@gmail.com

क्रमांक /768 /अभियोजन/पेंशन/धारा16/सुझाव/2026 रायपुर, 25 मार्च, 2026

-:: सुझाव ::-

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 16 के अंतर्गत सुझाव

आ./अ. क्रमांक 8797/20
सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग
दिनांक 09 APR 2026

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.

सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 छत्तीसगढ़ शासन
पंजी क्र. 218
दि. 10/4/26

विषय :- अपचारी लोक सेवकों/शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 16 के अंतर्गत सुझाव के संबंध में।

--0--

माननीय प्रमुख लोकायुक्त महोदय के द्वारा **छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 16 के अंतर्गत** यह अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग में संस्थित जांच कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों से प्राप्त जांच प्रतिवेदन/तथ्यात्मक प्रतिवेदन तथा शिकायतों से संबंधित जानकारियों के आधार पर निर्भर होती है।

chaturpost.com

2/- आमतौर पर यह देखा गया है कि शासन के संबंधित विभागों में शिकायत में जांच की कार्यवाही को विलंबित रखते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता/शासकीय धन का गबन/भ्रष्ट उद्देश्य से कार्य करने व शासकीय धन का दुरूपयोग किए जाने वाले कतिपय अपचारी लोक सेवक/शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो जाते है, जिसे विभाग द्वारा **"छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9(2)(बी)(ii) के अनुसार सेवानिवृत्ति से चार वर्ष पूर्व घटित किसी घटना पर शासकीय सेवक के विरूद्ध**

विभागीय जांच संस्थित नहीं की जा सकती है।" टीप अंकित कर प्रकरण समाप्त किए जाने की अनुशंसा कर, विभाग द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए इस प्रावधान के तहत् उन दोषी शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय धन की गबन/आर्थिक क्षति की वसूली नहीं की जाती है और दोषी शासकीय सेवकों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही नहीं होने से **भ्रष्टाचार या कुप्रशासन** का अवसर प्राप्त होता है, जो कि उचित नहीं है।

3/— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के **नियम 8** अनुसार पेंशनर किसी गंभीर अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए लिखित आदेश द्वारा पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोक सकता है या वापस लिए जाने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के **नियम 9** के अनुसार पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने का अधिकार माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ को है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के **नियम 65** के अनुसार शासकीय बकाया की वसूली और समायोजन किए जाने का भी प्रावधान है, किन्तु विभागों में उक्त पेंशन नियमों का पालन नहीं किया जाता और इस तरह भ्रष्टाचार या कुप्रशासन को बढ़ावा मिल रहा है।

chaturpost.com

4/— **छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 16** यह कहती है :— "यदि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में लोक आयोग के ध्यान में कोई ऐसी पद्धति या प्रकिया आये जो कि उसकी राय में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के लिये अवसर प्रदान करती है तो वह उसे सरकार के ध्यान में ला सकेगा तथा उक्त पद्धति या प्रकिया में ऐसा सुधार करने का जिसे कि वह उचित समझे सुझाव दे सकेगा।" उपरोक्त प्रावधान के तहत् माननीय प्रमुख लोकायुक्त के आदेशानुसार शासन को यह सुझाव दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के उपरोक्त प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्ति हो चुके आरोपित लोक सेवकों के पेंशन रोकने अथवा वापस लेने के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ से अनुमति लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने तथा सेवानिवृत्त हो रहे या होने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध शासकीय धन की क्षति की वसूली हेतु **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 65** के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किये जाने चाहिए। जिससे गंभीर वित्तीय अनियमितता या शासकीय धन के गबन किये जाने वाले अपचारी शासकीय सेवकों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही हो सके। साथ ही *प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी के संज्ञान में यह बात आने पर कि अपचारी शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो रहे या सेवानिवृत्ति की अवधि 06 माह से कम है, को ध्यान में रखते हुए*

3421.

जांचकर्ता अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही किया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जानबुझकर सेवानिवृत्त हो रहे या होने वाले दोषी शासकीय सेवक को लाभ पहुंचाने के नियत से जांच कार्यवाही में विलंब किया गया है, तो जांचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध भी समान रूप से कड़ी कार्यवाही किया जाना चाहिए।

5/– अतः माननीय प्रमुख लोकायुक्त महोदय के निर्देशानुसार अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग प्रमुख, समस्त संचालक/आयुक्त, तथा समस्त संभागायुक्त कार्यालय, समस्त जिला कार्यालय, समस्त पुलिस विभाग व पुलिस कमिश्नर रायपुर को गंभीर वित्तीय अनियमितता/शासकीय धन का गबन/भ्रष्ट उद्देश्य से कार्य करने व शासकीय धन का दुरूपयोग के दोषी शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहे या सेवानिवृत्ति की अवधि 06 माह से कम होने पर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 8, 9 एवं 65** के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु कड़े निर्देश जारी करते हुए इस आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–1 क. 13 का पालन किया जाना सुनिश्चत किया जाना चाहिए।

chaturpost.com

(माननीय प्रमुख लोकायुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :

1. छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 उक्त नियमों की छायाप्रति। (पृ. 1–4)
2. छ.ग. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–1 क. 13 पृ. 448 की छायाप्रति।(पृ.1)

25.3.26

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक आयोग,
रायपुर

अध्याय–2

सामान्य शर्तें (GENERAL CONDITIONS)

नियम 5. पेंशन/उपदान अथवा परिवार पेंशन के दावों का विनियमन (Regulation of claim to Pension/Gratuity or Family Pension)– (1) शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के समय अथवा सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा त्याग पत्र स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर, जैसी भी स्थिति हो, के समय प्रभावशील नियमों के प्रावधानानुसार पेंशन/उपदान अथवा परिवार पेंशन के दावों का विनियमन होगा।

(2) यह प्रश्न कि क्या किसी विशिष्ट कार्यालय अथवा विभाग में की गई सेवा पेंशन के लिये अर्हतादायी होगी का निर्धारण उन प्रचलित नियमों से किया जायेगा, जो उस समय उसके द्वारा की गई सेवा पर लागू थे और तत्पश्चात् प्रसारित उन आदेशों द्वारा जिनसे सेवा को पेंशन हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे।

(3) वह दिन, जिसके पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा सेवामुक्त कर दिया जाता है अथवा सेवा से त्यागपत्र देना स्वीकृत मान लिया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, कार्यदिवस नहीं माना जायेगा, परन्तु मृत्यु की तिथि को कार्य दिवस माना जायेगा।

नियम 6. सेवा मान्य होने पर ही पूर्ण पेंशन— [विलोपित, वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/3/81/नि-2/चार, दिनांक 20-3-1981]

नियम 7. पेंशनों की संख्या की सीमा (Limitation of number of pensions)– (1) कोई भी शासकीय सेवक एक ही समय में अथवा एक ही लगातार सेवा के द्वारा उसी सेवा अथवा पद के लिये दो पेंशनें अर्जित नहीं करेगा।

chaturpost.com

(2) नियम 18 में यथा उपबन्धित के सिवाय, शासकीय सेवक जिसे अधिवार्षिकी पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियुक्त किया जाता है, को पुनर्नियुक्ति की कालावधि के लिये पृथक् से पेंशन अथवा उपदान की पात्रता नहीं होगी।

नियम 8. भावी सदाचरण के आधार पर पेंशन (Pension subject to future good conduct)– (1) (ए) इन नियमों में पेंशन की प्रत्येक स्वीकृति और उसे चालू रखने के लिये भावी सदाचरण की अन्तर्हित मान्य शर्त होगी।

(बी) यदि कोई पेंशनर किसी गम्भीर अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाय अथवा किसी गंभीर दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो पेंशन स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी, स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित् अवधि के लिए, लिखित आदेश द्वारा पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोक सकता है अथवा वापस ले सकता है :

परन्तु पेंशनर के सेवानिवृत्ति के समय, उसके सेवा से सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा :

[1][परन्तु आगे यह और भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, तो पेंशन की ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी।]

(2) जहां पेंशनर किसी गम्भीर अपराध के कारण किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस प्रकार की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उप नियम (1) के खण्ड

1 वित्त विभाग अधिसूचना क्र. बी- 25/9/96/PWC/IV, दि. 18-6-1996 द्वारा संशोधित तथा दि. 1-1-86 से लागू।

(बी) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन नहीं आने वाले मामले में, उप नियम (1) में सन्दर्भित प्राधिकारी यदि यह समझता है कि पेंशनर किसी गम्भीर दुराचरण का प्रथम दृष्टया दोषी है, तो उप नियम (1) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित करने के पूर्व वह—

(ए) पेंशनर को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही और जिस आधार पर वह कार्यवाही प्रस्तावित है का नोटिस देकर वह शासकीय सेवक से अपेक्षा करेगा कि प्रस्ताव के विरुद्ध वह जो भी अभ्यावेदन देना चाहे, सूचना-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अथवा पेंशन स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत और आगामी पन्द्रह दिन से अनधिक समय के भीतर प्रस्तुत करे; और

(बी) खण्ड (ए) के अन्तर्गत पेंशनर द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(4) जहां उप नियम (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल है, तो आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जावेगा।

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा उप नियम (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जावेगी और अपील पर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राज्यपाल ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण— इस नियम में,—

(ए) "गम्भीर आरोप" (serious crime) अभिव्यक्ति में कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का क्रमांक 19) (Official Secrets Act, 1923) के अधीन किये गये अपराध के अन्तर्गत आपराधिक कार्य सम्मिलित है;

chaturpost.com

(बी) "गम्भीर दुराचरण" (Grave misconduct) अभिव्यक्ति में, शासन के अधीन रहते हुये, जैसा कि कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित है, किसी गोपनीय कार्यालयीन संकेत शब्द लिपि की संसूचना अथवा प्रकटीकरण अथवा शब्द अथवा नक्शा, योजना (प्लान) मॉडल, वस्तु, टिप्पणी (नोट), दस्तावेज, सूचना, हस्तान्तरित करना, जो कि सर्वसाधारण जनता के हितों अथवा देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, सम्मिलित है।

[1][टिप्पणी— इस नियम के उपबन्ध, नियम 47 तथा 48 के अधीन देय कुटुम्ब पेंशन के लिए भी लागू होंगे। मृत सरकारी सेवक/पेंशनर द्वारा धारित पद पर, यथा स्थिति उसकी मृत्यु या सेवा निवृत्ति के तत्काल पूर्व नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुटुम्ब पेंशन का कोई भाग रोकने या प्रत्याहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।]

नियम 9. पेन्शन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार (Right of Governor to withhold or withdraw Pension)— (1) पेन्शनर द्वारा उसकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर की गई सेवा भी शामिल है, विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में जिसमें यह पाया जाय कि पेन्शनर गम्भीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी है, शासन को पहुँचाई गई धन सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, पेन्शन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिये पेन्शन वापस लेने और पूर्ण आदेश पारित करने के लिये राज्यपाल स्वयं के अधिकार सुरक्षित रखते हैं :

परन्तु यह कि अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा :

[2][परन्तु आगे यह और भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है तो ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी।]

(2) (ए) [3][—] विभागीय कार्यवाहियां, यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे

1. वि.वि.क्र.एफ.बी. 6-2-80/नि-2/चार, दिनांक 1-1-81 द्वारा संशोधित।
2. वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक बी-25/9/96/PWC/IV, दिनांक 18-6-96 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1-1-86 से लागू।
3. वि.वि.क्र. F.B. 25/31/95/PWC/IV, दि. 22-12-95 द्वारा "उपनियम (1) में उल्लिखित" शब्द विलोपित।

सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेंगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थीं उसी के द्वारा और उसी प्रकार से जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी :

परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(बी) विभागीय कार्यवाहियां, जब शासकीय सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई तो-

(i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी;

(ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहिले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होगी; तथा

(iii) विभागीय कार्यवाहियां को लागू प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसें स्थान पर संचालित की जावेंगी जैसा शासन निदेशित करे-

(अ) जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान के संबंध में सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ब) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था शासकीय सेवक को उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश किया जा सकता है।

chaupost.com

(3) शासकीय सेवक जब सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के पहले उत्पन्न वाद-कारण के बारे में अथवा ऐसे संस्थापन के चार वर्ष से अधिक पहले घटित किसी घटना के बारे में न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जावेगी।

(4) उस मामले में जहां शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने या अन्यथा से सेवानिवृत्त हुआ है, तथा जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हैं अथवा जहां विभागीय कार्यवाहियां उपनियम (2) के अधीन निरन्तर हैं, अनन्तिम पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, जैसा [नियम 64] में उपबंधित है, मंजूर होगा :

[1][परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के पूर्व ही शासकीय सेवक को उसकी पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है तो राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने की तिथि से इस प्रकार स्वीकृत पेंशन का पचास प्रतिशत, इस शर्त के साथ रोक सकता है कि ऐसी रोक के बाद पेंशन न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी:]

परन्तु यह और भी कि, जहां विभागीय कार्यवाही दिनांक 25-10-1978 के पूर्व संस्थित हुई हो तो प्रथम परन्तुक इस प्रकार से प्रभावशील होगा जैसे "ऐसी कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से" शब्दों के लिये "उपर्युक्त दर्शित तिथि से 30 दिनों से अधिक विलम्ब होने के दिनांक से प्रभावशील होगा" शब्द प्रतिस्थापित थे :

परन्तु यह और भी कि,—

(ए) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से एक वर्ष में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् रोकी गई पेन्शन का 50% पुनः स्थापित हो जावेगा।

(बी) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं

1 वित्त विभाग अधिसूचना क्र. भी-25/9/96/PWC/IV, दिनांक 18-6-96 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1-1-86 से लागू।

कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां संस्थापित होकर प्रचलित हैं।

3. अनन्तिम पेन्शन से सम्बन्धित अन्य प्रावधान यथावत् प्रचलित रहेंगे।

[वित्त विभाग क्र. F.B. 6/3/नि- 2/चार/93, दिनांक 17-5-1993]

नियम 64-A. प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सेवक (Government Servants on Deputation)— प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में रहते हुये सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक के प्रकरण में इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार पेन्शन और उपदान स्वीकृत करने की कार्यवाही [1][. . . .] विभागीय प्राधिकारी के कार्यालय प्रमुख, जिसने शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की थी अथवा उसे बाह्य सेवा पर भेजा था, के द्वारा की जावेगी।

शासकीय बकाया (Government Dues)

नियम 65. शासकीय बकाया की वसूली और समायोजन (Recovery and adjustment of Government dues)— (1) प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व सभी शासकीय बकाया का चुकारा करें।

chaturpost.com

(2) जहाँ शासकीय सेवक शासकीय बकाया का चुकारा नहीं करता है और ऐसी बकाया अभिनिश्चित् किये जाने योग्य है, तो—

(क) उस व्यक्ति से उसके समतुल्य नगद जमा ली जा सकती है; अथवा

(ख) अभिनिश्चित् शासकीय-बकाया के कारण उसके बराबर वसूली योग्य धनराशि, उसके नाम-निर्देशितों को अथवा कानूनी वारिस को भुगतान होने वाले उपदान से काट ली जावेगी।

स्पष्टीकरण— "अभिनिश्चित् शासकीय-बकाया" में शामिल है—भवन निर्माण अथवा वाहन अग्रिम की बकाया, शासकीय आवास पर वास्तविक कब्जे से सम्बन्धित किराया और अन्य प्रभार का बकाया, वेतन और भत्तों का भुगतान-आधिक्य और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन स्रोत पर कटौती-आय कर की बकाया।

अमांग प्रमाण-पत्र राज्य शासन आदेश

(1)

विषय— शासकीय कर्मचारियों को जल कर "अमांग प्रमाण-पत्र" दिया जाना।

राज्य शासन द्वारा शासकीय आवास गृहों में रह रहे शासकीय सेवकों को "जल कर अमांग प्रमाण-पत्र" दिये जाने की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक जल कर "अमांग प्रमाण-पत्र" दिया जावे यदि उसने जलकर की राशि का भुगतान नियमित रूप से कर दिया है अथवा यह राशि कर्मचारी के वेतन से काट ली गई है। यह प्रमाण-पत्र सम्बद्ध सहायक यन्त्री द्वारा दिया जायेगा।

[म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग ज्ञापन क्र. एफ. 16/27/34/1/86, दि. 24-4-1987]

(2)

विषय—सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लम्बी अवधि के ऋणों के सम्बन्ध में अमांग प्रमाण-पत्र (No dues certificate) जारी करने के सम्बन्ध में।

chaturpost.com

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के पेन्शन ग्रेच्युटी के मामलों का निराकरण समय से इसलिये नहीं हो पाता, क्योंकि शासन द्वारा उनको दिये गये लम्बी अवधि के ऋणों के सम्बन्ध में महालेखाकार से अमांग प्रमाण-पत्र (No dues certificate) अथवा कटौत्रे की राशियों का प्रमाणीकरण यथा समय प्राप्त नहीं हो पाता है। यद्यपि विभागीय अभिलेख के अनुसार मूलधन तथा देय ब्याज की समस्त राशि की वसूली हो चुकी है।

2. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियमों के नियम 59 के अनुसार, पेन्शन प्रकरण महालेखाकार को सम्बन्धित शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति की तिथि के 12 माह पूर्व अग्रेषित कर दिया जाना चाहिये। पेन्शन प्रकरण महालेखाकार को भेजने के तत्काल पश्चात् कार्यालय प्रमुख द्वारा उस शासकीय सेवक के विरुद्ध वसूली योग्य शासकीय राशियों के सम्बन्ध में समीक्षा करनी चाहिये ताकि वास्तविक सेवानिवृत्ति की स्थिति तक लम्बी अवधि के ऋणों एवं उन पर देय ब्याज के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट रहे व अमांग प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब न हो।

3. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1065/2781/चार/नि- 4/84, दिनांक 28-7-84 द्वारा यह

---

1. शब्द "आडिट आफिसर अथवा" विविक्र.एफ.बी. 6/1/77/नि-2/चार, दिनांक 1-2-1977 द्वारा विलोपित।

पेंशन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही

विषय- शासकीय सेवकों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् विभागीय जाँच की कार्यवाही पेंशन नियमों के तहत की जाना।

शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें विभागीय जाँच के चालू रहते शासकीय सेवक के सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् भी विभागीय जाँच की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत जारी रखी गई और इसी के परिणामस्वरूप ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश भी प्रसारित किये गये जिसका कोई प्रभाव सेवा निवृत्ति के बाद नहीं रहता उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के पश्चात् म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के पूर्व चल रही विभागीय जाँच निरन्तर रहेगी एवं इस प्रकार की जाँच की कार्यवाही म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत जारी समझी जायेगी, जैसा कि इन नियमों में प्रावधान है। यदि सेवा निवृत्ति के बाद जाँच प्रारम्भ की जाना हो तो वह पेंशन नियमों के अन्तर्गत ही की जा सकेगी।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, क्रमांक सी-6-2/90/3/49, दिनांक 17.4.90]